प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
[illegible]/11/25 — [illegible] पर हुए अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। [illegible] अधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] है। अधिकारी/अधिवक्तागण [illegible] है। [illegible] पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 20/11/25 को पेश हो। घ	
20/11/25 वकुलाए उप./ पेशकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया / पत्रावली वास्ते बहस दि. 17/12/25 को पेश हो।	
17/12/25 वकुलाय उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश 22/12/25 को पेश हो।	
22/12/25 वकुलाए उप०। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को शांति एवं कानून व्यवस्था के मध्य नजर ता फैसला वाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि पक्षकार मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आपस मे कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे दखलंदाजी नहीं करे, ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती ... आर.ए.एस.)

... नं0	तारीख दावरा	तारीख फैसला
.../प्रा.पत्र/2023	31.07.2023	22.12.2025

1. देव लाल पुत्र माधो लाल आयु वयस्क जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तह0 तालेडा जिला बूंदी राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पोखर पुत्र मोड़ा आयु वयस्क जाति कराड़ निवासी भगवानपुरा तह0 तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. कंवर लाल पुत्र पोखर आयु वयस्क जाति कराड निवासी भगवानपुरा तह0 तालेडा जिला बूंदी राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये उप तहसीलदार तह0 तालेडा जिला बूंदी राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्द सिंह सोलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी:- श्री बृजमोहन गौतम

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0 सं0 73 रकबा 0.4856 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का धनेश्वर में स्थित है जिसके चारो तरफ प्रार्थी ने पत्थर का कोट कर रखा है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 का वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नही है। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थी की फसल को जबरन ट्रेक्टर से हाकने हेतु दिनांक 23.07.2023 को प्रार्थी की भूमि पर आये एवं जान से मारने पर आमादा हुये यही वाद कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 वाद वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थी को कृषि कार्य करने एवं उपयोग उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। दोराने वाद यदि अप्रार्थी, प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि पर कब्जा कर लेते है तो पुनः कब्जा अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलवाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा, काश्त नही है। न ही पत्थर की कोट बनी हुई है अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 72/995 रकबा 1.2383 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा की कृषि भूमि जिस पर अप्रार्थीगण 1 व 2 आवंटन के समय करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज काश्त है एवं भूमि के चारो तरफ पत्थर का कोट बना रखा है। प्रार्थी झूठे तथ्यों के आधार पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी का ख0 नं0 73 रकबा 0.4856 है0 की भूमि जो मौके पर नहीं है, उक्त भूमि की आड में अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख0 सं0 72/995 पर जबरन कब्जा करने की नियत से दिनांक 02.08.2023 को प्रार्थी मौके पर आया तो अप्रार्थी क्रम 2 ने रोकने की कोशिश की तब वहा मारपीट हुई जिसकी पुलिस थाना डाबी में एफआईआर दर्ज हुई एवं मुल्जिम के विरूद्ध चालान पेश हुआ। प्रार्थी ने पूर्व खातेदार से केवल रिकार्ड में नाम होने से उक्त भूमि क्रय की जिस पर बिना कब्जा प्राप्त किये क्रय किये गये उक्त भूमि की आड में प्रार्थी , अप्रार्थीगण की भूमि ख0 सं0 72/995 पर जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया केस नही बनता है। प्रार्थी ख0 सं0 73 की मौके पर कभी भी पूर्व खातेदार छितर आ0 मोडा कराड एवं तत्पश्चात देव लाल का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है।

राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने की आड में अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि खं0 सं0 72/995 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जो नियम संगत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खं0 सं0 73 रकबा 0.4856 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का धनेश्वर में स्थित है जिसके चारो तरफ प्रार्थी ने पत्थर का कोट कर रखा है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 का वाद आमादा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 वाद वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थी को कृषि कार्य करने एवं उपयोग उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। दौराने वाद यदि अप्रार्थी, प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि पर कब्जा कर लेते है तो पुनः कब्जा अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलवाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 72/995 रकबा 1.2383 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा की कृषि भूमि जिस पर अप्रार्थीगण 1 व 2 आवंटन के समय करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज काश्त है एवं भूमि के चारो तरफ पत्थर का कोट बना रखा है। प्रार्थी झूठे तथ्यों के आधार पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी का खं0 नं0 73 रकबा 0.4856 है0 की भूमि जो मौके पर नही है, उक्त भूमि की आड में अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खं0 सं0 72/995 पर जबरन कब्जा करने की नियत से यह वाद पेश किया गया है। प्रार्थी खं0 सं0 73 की मौके पर कभी भी पूर्व खातेदार छितर आ0 मोडा करड एवं तत्पश्चात देव लाल का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। केवल राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने की आड में अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि खं0 सं0 72/995 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जो नियम संगत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी, खाता सं0 110 वाके ग्राम भगवानपुरा संवत् 2076 एवं अप्रार्थी द्वारा जवाब के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज मौका रिपोर्ट दिनांक 06.07.2023, नकल जमाबन्दी खाता सं0 90 वाके ग्राम भगवानपुरा संवत् 2076 एवं भू-नक्शा खं0 सं0 73 वाके ग्राम भगवानपुरा का अवलोकन करने पर हम इस निषकर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजीयात भू -नक्शा अनुसार पृथक-पृथक है किन्तु दोनो पक्षकार खं0 सं0 73 एवं 72/995 की मौका स्थिती को अपने अनुसार अलग-अलग स्थान पर होना बता रहे है। अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा होना ही नही बताया जबकि प्रार्थी खं0 सं0 73 का रिकार्डड खातेदार है एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 खं0 सं0 72/995 के रिकार्डड खातेदार है। ऐसी स्थिती में मौका स्थिती स्पष्ट नही होने से प्रकरण में प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है किन्तु पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिती एवं मूल वाद में निर्णय में विलम्ब होने को दृष्टिगत रखते हुये पक्षकारों के मध्य शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रार्थी एव अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को शांति एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर ताफैसला वाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबध किया जाता है कि पक्षकार मौके की यथा स्थिती बनाये रखे। आपस में कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग में दखलंदाजी नही करे ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा